# झारखण्ड विधान-सभा

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड विज्ञापन कर विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखंड विज्ञापन कर विधेयक, 2012
[सभा द्वारा यथापारित]

## विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ।
3. कर का प्रभार।
4. कर विमुक्ति।
5. इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायी व्यक्ति के द्वारा कर वसूली।
6. निबंधन।
7. विवरणियाँ।
8. कर का भुगतान।
9. अपराध।
10. अपराध का प्रशमन।
11. झारखंड मूल्यवद्धित कर अधिनियम, 2005 तथा उसकी अधीन बताए गए नियम के प्रावधानों के उपयुक्तता।
12. नियमावली बनाने की शक्ति।
13. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।
14. निरसन तथा व्यावृत्तियाँ।

# झारखण्ड विज्ञापन कर विधेयक, 2012

## [सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड विज्ञापन कर के प्रयोजन हेतु झारखण्ड विज्ञापन कर विधेयक।

भारतीय गणराज्य के 63वें वर्ष में यह अधिनियमित हों :–

**1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ**

(1) यह अधिनियम झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका प्रसार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(a) **विज्ञापन** का अभिप्रेत है– कोई शब्द, पत्र, मोडेल, चिन्ह, नीयोन चिन्ह, आकाश चिन्ह, इश्तहार, सूचना, ढाँचा, माध्यम या चित्रण की प्रकृति का, प्रकाशित या नहीं जो राज्य में विज्ञापन घोषणा या परिचालन का उदेश्य से पूरी तरह से या आंशिक रूप से लोगों की दृष्टि में प्रदर्शित करने या दिखाने हेतु या बनाए रखने के लिए, लेकिन समाचारपत्रों में प्रकाशित या रेडियो या दूरदर्शन या सिनेमा में प्रसारित विज्ञापन या राजनीतिक दल द्वारा प्रसारित विज्ञापन उक्त में शामिल नहीं हैं।

(b) **विज्ञापन एजेंट** से अभिप्रेत है– कोई व्यक्ति, जो अन्य के लिए या अन्य व्यक्ति के बदले में विज्ञापन का व्यवसाय करता है एवं नकद भुगतान या बिलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है, और कोई संस्था, संघ, अविभाजित हिन्दु परिवार, एक फर्म, कम्पनी कॉरपोरेशन एवं सरकर के किसी विभाग द्वारा इस प्रकार के विज्ञापन का व्यवसाय करने वाला सम्मिलित होंगे।

(c) **निर्धारिती** से अभिप्रेत है कोई विज्ञापन एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जो अपने व्यवसाय या व्यापार या वृति के क्रम में किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करता है, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य राशि की देयता बनती है।

(d) **आयुक्त** से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अधीन नियुक्त वाणिज्य–कर आयुक्त

अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन नियुक्त अन्य कोई पदाधिकारी, जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की सभी या कोई अधिकार या कर्त्तव्य को प्रदत कर सकता है, शामिल हैं।

(e) **सरकार** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(f) **समाचार पत्र** से अभिप्रेत है कोई भी मुद्रित पत्रिका जिसमें जन समाचार या जन समाचार की टिप्पणी शामिल है।

(g) **माह** से अभिप्रेत है कलैण्डर माह।

(h) **प्राधिकृत** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

(i) **प्राधिकृत पदाधिकरी** से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा **(4)** के अधीन नियुक्त पदाधिकारी एवं उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उक्त पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत अधिकार और शक्तियों तथा संबंधित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संबंधित प्रविष्टियों में अंकित क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के उदेश्य हेतु में विनिर्दिष्ट कार्य कर्त्तव्य और शक्तियाँ।

(j) **तिमाही** से अभिप्रेत हैं 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, तथा 31 मार्च को समाप्त होनेवाली तिमाही।

(k) **निबंधित विज्ञापन कर्त्ता** से अभिप्रेत है विज्ञापन कर्त्ता या विज्ञापन एजेंट, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वैट निबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

(l) **आकाश चिन्ह** से अभिप्रेत है कोई विज्ञापन जो किसी स्तंभ, डंडे, झंडे, ढ़ॉचा या किसी सहारे से पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से किसी जमीन, भवन, दीवार या ढ़ॉचा के सहायता से जुड़ा हुआ हो, जो या जिसका कोई भाग किसी सार्वजनिक स्थान से आकाश की पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ता है और जिसके अधीन इस प्रकार के सभी स्तंभ, डंडे, झंडे, ढ़ॉचे यों अन्या सहारा सम्मिलित हो। इस आकाश चिन्ह के अधीन विज्ञापन के उदेश्य से किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी जमीन, भवन या ढ़ॉचे के उपर कोई गुब्बारे, पैरॉशूट या अन्य इस प्रकार के माध्यम सम्मिलित होंगे लेकिन इसके अधीन निम्न शामिल नहीं होंगे।

(i) कोई ध्वजडंड, डंडा, बंद गाड़ी या वातसूचक शामिल नहीं हैं, जबतक इसे पूणरूपेण या आंशिक रूप से विज्ञापन के उदेश्य से प्रयुक्त किया गया हो।

(ii) भवन के दीवाल या छज्जे से जुड़ा कोई चिन्ह, बोर्ड या यंत्र, जो छत के किनारे या कारनिस से जुड़ा हुआ हो, बशर्ते ऐसा बोर्ड, फ्रेम या अन्य यंत्र, उसी ढ़ॉचे का हिस्सा हो और अलग से नहीं लगाया गया हो और दीवाल के किसी भाग या छज्जे के किसी कोने, जिससे जुड़ा हुआ है, से एक मीटर से अधिक ऊँचा नहीं हो या

(iii) किसी जमीन, भवन या किसी जमीन, भवन के मालिक या दखलदार के नाम का विज्ञापन या

(iv) रेलवे व्यवसाय से संबंधित कोई विज्ञापन, जो रेलवे के प्लेटफार्म, रेलवे स्टेशन यार्ड के उपर अवस्थित हो और किसी गली या सार्वजनिक स्थल पर नही हो या

(v) किसी जमीन या भवन के उपर लगी उस जमीन या भवन बिकी की सूचना।

व्याख्या – आकाश चिन्ह के अधीन चिन्ह, नियोनचिन्ह, तथा इश्तहार शामिल है।

(m) **ढ़ॉचा** –से अभिप्रेत है, और इसमें शामिल है कोई निर्माण, फ्रेम, स्तंभ, भवन, दीवाल, होर्डिंग या किसी वाहन के उपर लगा विज्ञापन जिसे सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाता है या रखा जता है।

व्याख्या – इस अधिनियम के उदेश्य हेतु वैसे वाहन सम्मिलित नहीं होंगे जो राज्य से गुजर रहें हैं या अपने व्यवसाय कम में या अन्यथा राज्य से गुजर रहें हैं।

(n) **न्यायाधिकरण** – से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 05 की धारा 3 तथा उक्त के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन गठित न्यायाधिकरण।

(o) **विज्ञापन का मूल्य** – से अभिप्रेत है नगद या विलंबित भुगतान या अन्य प्राप्ति या प्राप्ति योग मूल्यवान प्रतिफल जो विज्ञापन एजेंट को उसके द्वारा बनाए गए विज्ञापन हेतु प्राप्त होता है।

(p) **वर्ष** – से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष ।

**3. कर का प्रभार** – उपधारा (2) की प्रावधान की शर्त्त पर, निर्धारिती द्वारा राज्य सरकार की इस अधिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट दर पर विज्ञापन कर का अधिरोपण तथा भुगतान किया जाएगा।

परन्तु यह कि राज्य सरकार विज्ञापन की विभिन्न श्रेणियों पर विभिन्न कर दर या दरें विनिर्दिष्ट कर सकती है।

परन्तु यह भी कि कर–दर विज्ञापन मूल्य के 20 प्रतिशत से अनधिक होगी।

(2) ऐसे विज्ञापनों पर कर–देयता नहीं होगी, जो

(क) सार्वजनिक बैठकों या लोकसभा चुनाव या विधान सभा चुनाव से संबंधित हो; या

(ख) किसी भवन के परिसर के भीतर प्रदर्शित हो और उस भवन से परिचालित व्यवसाय, वृति या व्यापार से संबंधित हो, या

(ग) ऐसे व्यवसाय, वृति या व्यापार से जो उस जमीन या भवन पर प्रदर्शित विज्ञापन से संबंधित है या उस जमीन या भवन की बिकी या लीज, मनोरंजन या बैठक के विज्ञापन से संबंधित हो; या

(घ) उस जमीन या भवन के नाम के विज्ञापन से संबंधित है या ऐसी जमीन या भवन के मालिक या दखलदारी के नाम से संबंधित हो; या

(ड़) रेलवे प्रशासन से संबंधित हो और रेलवे स्टेशन या रेलवे प्रशास्त के संपति या दीवाल पर प्रदर्शित हो; या

(च) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के गतिविधि से संबंधित हो।

(३) जब एक निर्धारिती अपने विज्ञापन के लिए एक से अधिक निबंधन प्राप्त किए हुए है तब प्रत्येक निबंधन हेतु अलग से कर भुगतान की देयता होगी।

**(4) कर विमुक्ति** – राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन, यदि आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के श्रेणी या किसी विज्ञापनकर्त्ता या विज्ञापनकत्ताओं की श्रेणियों को धारा 3 और धारा 8 के अधीन की कर देयता और कर भुगतान से विमुक्ति प्रदान कर सकता है।

**(5) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायी व्यक्ति द्वारा कर वसूली** – कोई निर्धारिती या व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई विज्ञापन करने या अन्य व्यक्ति के बदले विज्ञापन करने पर भुगतान या किसी मूल्यवान प्रतिफल हेतु कर भुगतान का कर दायी है, अन्य व्यक्ति से जिसके लिए विज्ञापन किया गया है कर की वसूली कर सकता है।

**(6) निबंधन** –(1) कोई निर्धरिती व्यवसायी या व्यक्ति जिसपर इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 8 के अधीन कर भुगतान की देयता बनती है, विज्ञापन बनाने का कार्य नहीं करेगा जबतक वहां वैध निबंधन नहीं प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (1) में प्रासंगिक कोई निर्धारिती या व्यक्ति प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष, विहित तरीके से निबंधन हेतु आवेदन देगा और प्राधिकृत पदाधिकारी यह सत्यापित कर कि आवेदन उचित ढंग से भरा गया है, विहित तरीके से निबंधन प्रदान करेगा।

**(7) विवरणियाँ** –(1) प्रत्येक निबंधित विज्ञापनकर्त्ता प्राधिकृत पदाधिकरी को उसके द्वारा या अन्य के बदले में किए गए विज्ञापन से संबंधित एक तिमाही में किये गए सभी संव्यवहारों से संबंधित एक सही, शुद्ध और पूर्ण विवरणी, प्रत्येक तिमाही के अगले महीने में या महीने के अंत में दाखिल करेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अधीन यदि कोई निबंधित विज्ञापनकर्त्ता विवरणी दाखिल नहीं करता है, तब प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे निबंधित विज्ञापनकर्त्ता को विहित तरीके से सुनवाई का मौका प्रदान करते हुये प्रत्येक माह के बिलंब पर दो सौ रूपया की दर से अर्थदंड आरोपित करेगा।

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति धारा 9 के अधीन की गए कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

**(8) कर का भुगतान** – (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी है, प्रत्येक महीने के कर का भुगतान, अगले महीने की पन्द्रह तारीख के पहले या पन्द्रह तारीख तक विहित तरीके से कर का भुगतान करेगा तथा कर भुगतान का प्रमाण, विहित प्रपत्र में विहित तरीके में दाखिल करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन, कर भुगतान के दायी व्यक्ति यदि उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन कर भुगतान नहीं करता है, तब ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भुगतेय कर राशि पर भुगतान की देय तिथि से प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से सूद भुगतान का दायी होगा।

व्याख्या – इस उपधारा हेतु यदि कर भुगतान में बिलंब की अवधि एक महीने से कम हो तो ऐसे कर पर सूद की दर अनुपातिक तरीके से संगुणित की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन सूद का अधिरोपण धारा 9 के अधीन होनेवाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

**(9) अपराध** – (1) कोई भी –

(क) धारा 3 या 8 के अधीन भुगतान के दायी होने पर या धारा 6 के प्रावधान का उल्लंघन करता है; या

(ख) धारा 7 के अधीन विवरणी दाखिल नहीं करता है; या

(ग) धारा 5 के अधीन अधिकृत कर वसूली से अधिक कर राशि एकत्रित करता है; या

(घ) धारा 8 के अधीन अपेक्षित कर भुगतान नहीं करता है; या

(ङ) किसी पदाधिकारी को जाँच या जप्ती करने में अवरोध पैदा करता है; या

(च) किसी व्यक्ति को कंडिका () या कंडिका (इ) या कंडिका (ब) या कंडिका (क) या कंडिका (म) में विनिर्दिष्ट अपराध करने में मदद करता है या अवप्रेरित करता है;

दोषी सिद्ध होने पर जेल की सजा का दंड जो एक महीने से अनधिक, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है एवं दो हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का हकदार होगा।

**(10) अपराध का प्रशमन** – (1) आयुक्त, धारा 9 के अधीन कार्रवाई शुरू के पूर्व या उपरांत, धारा 9 तथा अधिनियम के अधीन निर्मित नियम के अधीन दोषी पाये गये व्यक्ति से अपराध के प्रशमन के तौर पर, दस हजार रूपये से अनधिक एवं जहाँ अपराध के कारण इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचना हुई है या हो सकती है, उक्त कर–राशि की तिगुनी राशि से अनधिक राशि, जो भी अधिक हो स्वीकार करेगा।

(2) ऐसी राशि के भुगतान के उपरांत जिसे आयुक्त निर्धारित करेगा उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

**(11) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 05, 2006) तथा उसके अधीन बताए गए नियम के प्रावधानों की उपयुक्तता** – इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमावली के प्रावधानों की शर्त्त पर, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 05, 2006) के अधीन कर–निर्धारण, पुनर्करनिधारण, कर भुगतान, सूद का भुगतान, अर्थदंड के भुगतान की वसूली तथा कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कर–निर्धारण, पुर्नकरनिधारण, सूद तथा अर्थदण्ड की वसूली तथा भुगतान का कार्यान्वयन के उदेश्य से उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमावली के अधिनि सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जो वर्त्तमान में प्रभावी है। साथ ही, विवरणी, कर–निर्धारण, कर–निर्धारण में आवर्त के छूट जाने

पर, कर की वसूली, सूद और अर्थदण्ड, वसूली की विशेष रीति, लेखापुस्तों का संधारण, जाँच और जप्ती, प्रतिनिधियों का दायित्व, कर वापसी, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, अपराधों का प्रशमन एवं उक्त अधिनियम के प्रावधान हूबहू लागू होंगे।

**(12) नियमावली बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार संबंधित नियमावली बना सकती है बशर्ते वे अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो –

(क) इस अधिनियम के अधीन आवश्यक सभी मामलों में जिन्हें सामान्यतया इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु तत्काल विहित करना अपेक्षित है एवं प्रकियाओं को नियमित करने, प्रपत्रों को अंगीकृत करने तथा इस अधिनियम की प्रकियाओं हेतु फीस निर्धारित करने तथा अन्य आनुषंगिक एवं प्रासंगिक मामलों में,

(ख) अन्य सभी मामलों में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्रर्याप्त प्रावधान नहीं हैं या प्रावधान नहीं हैं और जो राज्य सरकार के विचार से अधिनियम को कियान्वित करने हेतु आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन दंडनीय होगा जिसके लिए तीन हजार रूपये तक का जुर्माना आरापित किया जा सकता है और जहाँ उल्लंघन अनवरत है, वहाँ प्रतिदिन पचास रूपये की दर से जुर्माना आरोपित हो सकता है, जबतक उल्लंघन होता है।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम, बनाने के उपरांत शीघ्र ही राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा, जब उसका कुल चौदह दिन की अवधि का सत्र रहा हो और वह अवधि एक सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में हो सकती है और यदि जिस सत्र में नियम विधान सभा के समक्ष रखा जाता है, उस सत्र या उसके तत्काल बाद के सत्र की समाप्ति के पहले राज्य विधान सभा के दोनों सदन नियम में कोई परिवर्त्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन सहमत हो जाते हैं, कि नियम नहीं बनाए जाए तो नियम यथास्थिति ऐसी परिवर्त्तित रूप में ही प्रभावी होगा या पहले की गई या किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

**(13) अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति** – राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची की वस्तुओं में योग या घटाव या संशोधन या परिवर्त्तन कर सकेगी।

**(14) निरसन या व्यावृतियाँ** – विज्ञापन कर करारोपण से संबंधित सभी प्रावधान समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अतिरिक्त बिहार वित्त अधिनियम 1981 एवं उसके अधीन निर्मित नियमावली (झारखण्ड राज्य में जैसा अंगीकृत किया गया) या इस अधिनियम के प्रसार के समय प्रभावी कोई अन्य विधान निरसित मानी जायेगी।

परन्तु यह कि यह निरसन प्रभावी नहीं कर सकेगा :–

(क) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व बाध्यता या दायित्व जो निर्धारी विधि के तत्काल पूर्व की अवधि में किसी कार्यों के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा;

(ख) निरसित अधिनियम के ठीक पूर्व या प्रारंभ की गई या कोई विधिक कार्यवाही या उपचार, जो कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व से संबंधित हो;

(ग) उक्त अवधि से संबंधित, करारोपण, कर–निर्धारण, कर वसूली या किसी अर्थदण्ड का आरोपण या वसूली, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित सभी मामलों की सभी प्रकियाएं प्रारंभ की जाएगी और निष्पादित की जाएगी या जैसी स्थिति हो, चलती रहेगी या जैसी स्थिति हो, चलती रहेगी या निष्पादित होगी, मानो यह अधिनियम प्रभावी नहीं है।

.................................................................

# अनुसूची

निर्धारिती के द्वारा, उसके द्वारा या उसके माध्यम से बनाए गए विज्ञापन मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर पर कर भुगतान होगा।

यह विधेयक झारखण्ड विज्ञापन कर विधेयक, 2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 मार्च, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

**(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)**
**अध्यक्ष ।**

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 155--50--31-03-2012 ।